

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मनोज कुमार सिंह एवं एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7963

में

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 347

24 फ़रवरी, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीष कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

1. क्या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 7963/2021 में पारित निर्णय और आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

सेवा कानून—चयन—बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती—विज्ञापन नोट 4—साक्षात्कार के लिए चयन — इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पद—अपीलकर्ताओं ने बीपीएससी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को केवल विषयगत ज्ञान का परीक्षण करने हेतु शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया को चुनौती दी—दावा किया कि इस तरह की पद्धति विज्ञापन के अनुसार संविदात्मक शिक्षण अनुभव को दिए गए महत्व को कम करती है—तर्क दिया कि नोट 4 दोहरे निस्पंदन की ओर ले जाता है और अनुभवी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाता है।

निर्णय: आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों का निर्धारण पहले से ही विषयगत ज्ञान का परीक्षण करता है—नोट 4 एक अतिरिक्त स्तर जोड़ता है लेकिन वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता—आयोग को 1996 के प्रक्रिया नियमों के तहत साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या तय करने का अधिकार है—नए प्रवेशकों के लिए समान मंच के सिद्धांत को बरकरार रखा गया—अनुभव-आधारित महत्व शॉर्टलिस्टिंग के बाद भी लागू रहता है—विद्वानों ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने नोट 4 की वैधता को सही ठहराया—अपील खारिज।

(पैराग्राफ 3 से 9)

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

सेवा कानून

मुख्य शब्दों की सूची

विज्ञापन, लघु सूची, साक्षात्कार, नए प्रवेशकों के लिए समान मंच के सिद्धांत को बरकरार रखा गया।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 7963/2021 में पारित निर्णय एवं आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री कुमार कौशिक, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं की ओर से: श्री आलोक रंजन, सहायक अभिभाषक, एएजी-5।
बी.पी.एस.सी की ओर से: श्री संजय पांडे, अधिवक्ता।
रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7963
में
2022 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 347

- =====
1. मनोज कुमार सिंह, पिता - श्री राज नारायण सिंह, निवासी - रोड संख्या 24 के, शिवशक्ति कॉलोनी, केशरी नगर, राजीव नगर, थाना - राजीव नगर, जिला - पटना, बिहार - 800024।
 2. जितेन्द्र कुमार, पिता - श्री जगदीश सिंह, निवासी - ग्राम - कसिओना, डाकघर + थाना - राजनगर, जिला - मधुबनी, बिहार - 847235।
- अपीलकर्ता/ ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य ।
 2. प्रधान सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
 3. बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना-800001।
 4. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना-800001।
 5. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना-800001।
 6. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना-800001।
 7. सुवेश कुमार शुक्ला उर्फ सुवेश शुक्ला, पिता - दिनेश शुक्ला निवासी - ग्राम फतहपुर, वार्ड संख्या 34, थाना - सिवान सदर, जिला - सिवान, बिहार - 841226।
- उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति :

- अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री कुमार कौशिक, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री आलोक रंजन, ए.ए.जी - 5 के ए.सी
बी.पी.एस.सी के लिए : श्री संजय पांडेय, अधिवक्ता

=====

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीष कुमार

मौखिक निर्णय

(प्रति : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक : 24-02-2023

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार कौशिक और बिहार लोक सेवा आयोग के श्री संजय पांडे को सुना। राज्य का प्रतिनिधित्व श्री आलोक रंजन ने किया है।

अपीलकर्ता छात्रगण, जो अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी हैं, ने दिनांक 11.05.2022 को इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2021 के सी डब्लू जे सी सं. 7963 में पारित निर्णय को चुनौती दी है, जिसके माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग (जिसे इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, जो कि अभ्यर्थियों की विषयगत जानकारी की जांच करती है, साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में अपनाई गई प्रक्रिया की पुष्टि की गई है

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विज्ञापन में बताए गए परीक्षा योजना के अनुसार , मूल्यांकन की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ रूप में लिखित परीक्षा के माध्यम से क्षेत्र ज्ञान और शिक्षण कौशल के मूल्यांकन पर 40 प्रतिशत महत्व दिया जाना है। अकादमिक रिकॉर्ड और शोध प्रदर्शन के लिए 20 अंकों का वेटेज दिया जाना है। साक्षात्कार का वेटेज 15 अंकों का होना चाहिए। अनुबंध के आधार पर अनुबंध के माध्यम से प्राप्त अनुभव के लिए 25 अंकों का वेटेज निर्धारित किया गया है।

अपीलकर्ताओं ने कभी भी पूर्व उल्लिखित योजना को चुनौती नहीं दी। विज्ञापन में निर्धारित शर्तों में से एक जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के माध्यम से विषयगत ज्ञान और शिक्षण कौशल का मूल्यांकन करते समय 40 प्रतिशत अंकों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक भी निर्धारित होंगे पर भी कोई सवाल नहीं उठाया गया है।

अपीलार्थी और इसी तरह के अन्य लोग को केवल विज्ञापन के नोट-4 में निहित एक शर्त/नियम से आपत्ति थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि साक्षात्कार के लिए एक उम्मीदवार को केवल लिखित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ज्ञान और शिक्षण कौशल के क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ही चुना जाएगा।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशिक ने तर्क दिया है कि संविदा आधार पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अंकों का भारांक प्रदान करने का एक वैधानिक प्रावधान है। यह एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार का सचेत निर्णय था। यह उद्देश्य अर्थहीन हो जाएगा यदि विज्ञापन के लिए नोट-4 यानी केवल शैक्षणिक/विषयगत ज्ञान के

आधार पर साक्षात्कार के लिए व्यक्तियों को शॉर्टलिस्ट करने की अनुमति विज्ञापन में रखी जाती है। यह पिछले अनुभव पर भार को भारी छूट देता है, जो अक्सर केवल तकनीकी क्षेत्र ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होता है।

वह आगे तर्क देते हैं कि लिखित परीक्षा में योग्यता अंक निर्धारित करके, एक उम्मीदवार के क्षेत्र ज्ञान का पहले से ही परीक्षण हो जाता है। उस मामले में, नोट-4 में निर्धारित ऐसी शर्त पेश नहीं की जानी चाहिए थी।

अंत में यह तर्क दिया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई व्याख्या, बिना किसी संविदात्मक अनुभव के नए प्रवेशकों को समान मंच देने के सिद्धांत को लागू करते हुए, ऐसे व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के आयोग के निर्णय की पुष्टि करती है, जो आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंकों को पार कर जाएंगे, यह क्षेत्र ज्ञान के मूल्यांकन पर आधारित होगा, केवल प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो सकती है, लेकिन गहन विश्लेषण करने पर, यह भ्रामक सिद्ध होती है।

अंततः यह तर्क दिया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस मुद्दे पर विचार नहीं किया कि विज्ञापन में नोट संख्या 4 को मौजूद रखने की अनुमति देना उम्मीदवारों के दोहरे निस्पंदन के बराबर है जो अनुभव वाले व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया है कि भले ही विज्ञापन में इस तरह के निर्देश किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से शिक्षण से संबंधित नौकरियों के लिए पिछले अनुभव को महत्व देने में राज्य सरकार का समग्र उद्देश्य पूरी तरह से निरर्थक और अर्थहीन हो जाएगा तथा यह लोककल्याण के हित में भी नहीं होगा।

उपरोक्त तर्कों के विपरीत, आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे ने तर्क दिया है कि आयोग का केवल लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का निर्णय बिल्कुल भी अनुचित नहीं है और किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। इस निर्णय को इस प्रकार नहीं समझा जाना चाहिए कि यह अनुभवी अभ्यर्थियों को बाहर करने या संविदा आधार पर काम करने के उनके अनुभव को नकारने वाला कोई प्रावधान है, क्योंकि यदि वे विषयगत क्षेत्र में दक्ष पाए जाते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से उनके अनुभव के अनुसार उचित वेटेज दिया जाएगा।

श्री पांडे ने आगे कहा है कि वर्ष 1996 में तैयार आयोग के कार्यवाही के नियमों के तहत, यदि राज्य सरकार की अधिसूचना या भर्ती नियमों में कोई विरोधाभासी प्रावधान न हो, तो

आयोग के पास यह अधिकार है कि वह साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित कर सके।

बिहार लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एक स्वतंत्र एवं विशेषज्ञ निकाय है, जो राज्य सरकार के विभाग की मांग पर यथासंभव सर्वोत्तम विधि से परीक्षा आयोजित करती है।

विज्ञापन में श्री कौशिक द्वारा नोट-4 के खिलाफ उठाए गए आधारों में से एक यह है कि सहायक प्राध्यापक के विशिष्ट पद के लिए आवेदकों की संख्या कम है और इसलिए, आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए ऐसी शर्त तय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उपरोक्त तर्क के जवाब में, श्री पांडे का कहना है कि सैद्धांतिक रूप से, प्रत्येक श्रेणी के उम्मीदवारों को 2:5 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता और इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि विषयगत परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले ही साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी होंगे।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताको सुनने के बाद, हम पाते हैं कि नोट-4 का सम्मिलन निस्संदेह एक अतिरिक्त परीक्षा है जिसमें अनुभवी उम्मीदवारों को रखा गया है, लेकिन यह देखते हुए कि आयोग द्वारा विषयगत परीक्षा में योग्यता अंक निर्धारित किए गए हैं, व्यावहारिक रूप से बहुत कम या कई अनुभवी व्यक्तियों की कोई संभावना नहीं होगी जो अनुभव के महत्व के हकदार होंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी पदस्थ प्राध्यापक के लिए विषयगत ज्ञान आधारशिला है लेकिन शोध का अनुभव और पिछला अनुभव भी उम्मीदवार की क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है, अर्थात् आयोग द्वारा पहले से ही योग्यता अंक निर्धारित किए जाने के कारण, टिप्पणी-4 अधिक अनुभवी व्यक्तियों के मार्ग में एक अनावश्यक बाधा थी, जिन्हें पहले अपने क्षेत्र के ज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करनी होगी ताकि वे संविदात्मक कर्मचारियों के रूप में अर्जित अनुभव का लाभ उठा सकें, जो कुछ लोगों के लिए कुछ नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन चीजों की पूरी योजना को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि योग्यता अंकों और आयोग द्वारा न्यूनतम अंक निर्धारित

करने के साथ, जिसके ऊपर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, एक दूसरे से मेल खाएगा। यदि कोई रिसाव होता है, तो यह केवल मामूली होगा।

हमने पक्षों की ओर से पेश की गई दलीलों पर अपना चिंतित विचार किया है और हम पाते हैं कि इस तर्क की ताकत कि नए प्रवेशकों को भी एक बार अनुभवी के साथ एक समान मंच दिया जाना चाहिए, नए प्रवेशकों के पक्ष में भारी पड़ता है और इस प्रकार विज्ञापन के नोट-4 के पक्ष में है।

हम, इस प्रकार मानते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नोट-4 की वैधता का परीक्षण करने में पूर्व उल्लिखित तर्क का उपयोग करना न्यायोचित था और हम इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

याचिका खारिज की जाती है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(हरीष कुमार, न्यायमूर्ति)

उदय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।